रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/98

REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 634] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 1998/आश्विन 2, 1920

No. 634] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 1998/ASVINA 2, 1920

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1998

का. आ. 853 (अ)—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एतद्द्वारा निर्देश देते हैं कि उनके नियंत्रण के अध्यधीन और अगले आदेशों तक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल 'लोक व्यवस्था', 'पुलिस' और 'सेवाओं' सम्बन्धी मामलों में उनको राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित सीमा तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री के परामर्श से केन्द्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग और दायित्वों का निर्वहन उन मामलों को छोड़कर करेंगे जिनके लिए लिखित में कारण दर्ज हों और जिन्हें वह सौंपना उचित न समझें।

[फा. सं.-यू-11030/2/98-यू.टी.एल.(288)]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 1998

S.O. 853(E).—In pursuance of the powers conferred under clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that subject to his control and until further orders, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, shall in respect of matters connected with 'Public Order', 'Police' and 'Services' exercise the powers and discharge the functions of the Central Government, to the extent delegated from time to time to him by the President, in consultation with the Chief Minister of the National Capital Territory of Delhi except in those cases where, for reasons to the recorded in writing, he does not consider it expedient to do so.

[F.No. U-11030/2/98-UTL (288)]

P. K. JALALI, Jt. Secy.

2589 GI/98

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998